

16<sup>3</sup>/<sub>20</sub>

आज मठ पत्रावली प्रार्थी / वादी द्वारा शर्यात-पत्र  
पेश करने पर पेशी में ली गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन  
किमा जमा छि वर प्रस्थाई निवेधाज्ञा ही पत्रावली  
को आगे चलाना नहीं चाहता। अब: पत्रावली प्राप्त  
ही पेशी में होकर प्रस्थाई निवेधाज्ञा जरिमे विद्रोव  
स्वार्थिज करमाई जावे। प्रार्थी / वादी का निवेदन  
स्वीकार किमा जाता है। पत्रावली जरिमे विद्रोव  
की जाती है। पत्रावली केवल सुभार होकर बाह लखती  
लकरीहा दारिबहा कपतर हो।

सहायक कलेक्टर  
बीकानेर शहर

परिष्कार  
विज्ञाप  
(संदेशक)  
पदचा लकरी  
आर. रंजी

